सरकारी जमीन पर बने हिस्ट्रीशीटर के होटल को पुलिस और प्रशासन ने ध्वस्त किया

हरियाणा सीमा पर स्थित रामपुरा गांव में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई कर होटल को ध्वस्त किया

सादुलपुर, (निसं)। तहसील के रामपुरा गांव में पुलिस और प्रशासन ने एक हिस्ट्रीशीटर की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए एक होटल पर गुरूवार को जेसीबी मशीन का पंजा चलाकर होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में चूरू जिले की यह पहली कार्रवाई है।

पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से हमीरवास थाना अंतर्गत सरकारी भूमि पर कब्जा कर हमीरवास थाने के हिस्ट्रीशीटर दिनेश यादव की ओर से बनाए गए होटल पर जेसीबी चलाकर होटल को ध्वस्त किया गया। थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि हमीरवास पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर दिनेश कुमार यादव तहसील के गांव रामपुरा में गोचर भूमि में अतिक्रमण कर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर अपराधिक गतिविधियों को संचालित करने की कार्रवाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि हिस्ट्रीशिटर दिनेश यादव के खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, अवैध हथियार व मारपीट करने जैसे गंभीर प्रकृति के छह अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीटर दिनेश कुमार द्वारा अवैध रूप से निर्मित होटल में असामाजिक गतिविधियों चलने की शिकायत पूर्व में भी प्राप्त हुई थी, जिनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई थी, फिर भी हिस्ट्रीशीटर दिनेश कुमार पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी छिपे ऐसी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक चूरू का एक संदेश है अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अब लगातार जारी रखेंगे।

हमीरवास थाना पुलिस व प्रशासन ने हिस्ट्रीशिटर द्वारा गोचर भूमि पर बनाये होटल को ध्वस्त किया।

- **हिस्ट्रीशीटर दिनेश कुमार द्वारा अवैध रूप से निर्मित होटल में असामाजिक गतिविधियों चलने की शिकायत पूर्व में भी प्राप्त हुई थी**

जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, आईपीएस प्रशांत किरण के नेतृत्व में थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई, फरमान खान उप निरीक्षक तथा प्रशासन ने पुलिस दल के साथ होटल पर जेसीबी चला कर सरकारी भूमि को मुक्त करने के साथ-साथ होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई।

फैक्ट्री से घर लौट रहे मैनेजर पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया

बदमाशों ने मैनेजर की कार में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी, मामला दर्ज

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने फैक्ट्री से घर लौट रहे मैनेजर पर जानलेवा हमला कर बेरहमी से मारपीट की और कार में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी।

मंगरोप थाना पुलिस ने बताया कि ग्रोथ सेंटर स्थित सांवरिया प्रोसेस हाउस के मैनेजर सतीश पिता मिठू लाल बोहरा (61) निवासी चंद्र शेखर आजाद नगर ने रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की तरह फैक्ट्री से काम निपटाने के बाद अपनी कार से घर की ओर आने के लिए निकले। इस दौरान मंडपिया स्टेशन के निकट ब्रिज के पास योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर बैठे सोम सिंह, कन्हैयालाल गुर्जर, चिराग और अन्य 4-5 लोगों ने उनकी कार को रूकवाया और उन्हें कार से बाहर निकल कर सरियों और डंडों से मारपीट की। हमलावरों ने उनकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। घायल बोहरा का कहना है कि कार में दो लाख रुपए की नगदी रखी हुई थी और उनके गले में पहने सोने की चेन भी हमलावर लूट कर ले गए। पीड़ित ने मंगरोप थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि कुछ दिनों पूर्व यही सभी हमलावर उनकी फैक्ट्री में भी आए थे और हफ्तावसूली की नियत से फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसका मुकदमा दर्ज करवाए जाने के कारण ही इन लोगों ने दोबारा हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की है।

- **आरोप है कि दो लाख की नगदी और सोने की चेन भी हमलावर लूट ले गए**

वहीं सांवरिया प्रोसेस हाउस के फैक्ट्री मैनेजर सतीश बोहरा पर मण्डपिया स्टेशन के पास जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को एचआर प्रोफेशनल सोसायटी की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। स्टेट प्रेसिडेंट एसएस सोलंकी की अगुवाई में दिए ज्ञापन में बताया गया कि पिछले काफी समय से औद्योगिक संस्थानो में आसपास के असामाजिक तत्व चौथवसूली करते हैं और फैक्ट्री मैनेजर व प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाते हैं तथा श्रमिकों व ठेकेदार को धमकाने के साथ-साथ मारपीट करने से भी नहीं चूकते हैं।

हाल ही में सांवरिया प्रोसेस हाउस के फैक्ट्री मैनेजर सतीश बोहरा पर मण्डपिया स्टेशन के पास जानलेवा हमला किया गया। कार में तोड़फोड कर दो लाख रुपए नकद व दो तोले की सोने की चेन छीनकर ले गये। इस घटना में सोमसिंह, कन्हैयालाल गुर्जर, चिराग तथा तीन चार अन्य व्यक्ति शामिल थे। सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई किये जाने की मांग की।

मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के दरबार का भंडार चतुर्दशी गुरुवार को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) एवं मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी राकेश कुमार की उपस्थिति में खोला गया। प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया कि चतुर्दशी को खोले गए भंडार से 7 करोड 70 लाख 41 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए। उन्होंने ने बताया कि भंडार से बची राशि एवं भंडार से निकले सोने चांदी का तोल होना बाकी है।

हादसे में युवक की मौत, दो घायल

उदयपुर, (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में कार ने बाइक को चपेट में ले लिया और बाद में कार पलट गई। हादसे में युवक की मौत हो गई तथा दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार सांय सुखेर थाना क्षेत्र मीरा मेदपाट भवन के समीप कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक अंबेरी निवासी भेरूलाल ओड (23)पुत्र किशनलाल ओड की मौत हो गई तथा कार चालक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतक को एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया।

रेल रोकने पहुंचे युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर छोड़ा

कोटा, (निसं)। नीट पेपर में धांधली को लेकर गुरुवार को कोटा में 'रेल रोको' आंदोलन किया गया। इसके तहत कोटा में रेल रोकने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जंक्शन पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पुलिस ने यशवीर सुरा सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन्हें बसों में भरकर दूसरी जगह जाकर छोड़ दिया गया।

- **नीट पेपर में धांधली को लेकर कोटा में 'रेल रोको' आंदोलन**

यूथ कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष सदन में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन केंद्र सरकार यह नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा नगरी है और यहां के सांसद ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं लेकिन इसके बावजूद भी नीट में धांधली हुई इस पर भी चर्चा नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा कानून बनाना चाहिए। साथ ही छात्रों और नौजवानों की मांग है कि नीट परीक्षा रद्द होकर दोबारा परीक्षा करवाई जाए। यूथ कांग्रेस भी यही चाहती है। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाली भाजपा के राज में ही पर्ची से सरकार चल रही है और गुंडाराज प्रदेश की सड़कों पर नजर आने लगा है। कुछ दिनों में ही ऐसे हालत हो जाएंगे कि प्रदेश के भाजपा विधायक और मंत्री सड़क पर नहीं निकल पाएंगे।

पांच गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। ऋषभदेव थाना पुलिस ने बाइक सवार पर घातक हमला करने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसार 18 जून को पीड़ित राजू पुत्र शंकर निवासी भुदर मगरा बावजी ऋषभदेव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें पीड़ित ने बताया कि 17 जून रात में मेरा भाई घर से विरजी को छोड़ने के लिए जा रहा था। जहां बीच रास्ते में नर्बा पुत्र पन्ना व साथी ने मिल कर भाई को रोक कर प्राणघातक हमला कर फरार हो गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस ने नरेश उर्फ नर्बा, ताराचंद, दिलीप, मनीष, आशीष को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ की जा रही है।

जेवर लूटने के मामले का पर्दाफाश, सात गिरफ्तार

बीकानेर, (निसं)। नयाशहर थाना इलाके में मंगलवार रात को ज्वैलर्स को पिस्तौल दिखाकर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर लूटने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सात जनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी के प्रयास कर रही है।

पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गये आरोपियों में लक्ष्मीनारायण सोनी, नारायण सोनी व विवेक सोनी, आमिर बंगाली, राकेश जाट, मनोज जाट तथा दिनेश विश्नाई है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एसपी ने बताया कि परिवादी व आरोपी लक्ष्मीनारायण सोनी की दुकानें पास-पास है। दोनों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा रहती थी, जिसके चलते आपसी खुंदस निकालने के लिये इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके तहत पहले रैकी की गई। बाद में चौखूंटी फाटक से बाबूलाल फाटक के रास्ते में एक सुनसान गली में मारपीट कर सोने-चांदी के जेवरात छीनकर ले गए। युवक को जेवरात गोल्ड लोन के लिए किसी ने दिए थे, जिसकी भनक बदमाशों को लग चुकी थी। ये लोग पहले स्कूटी से फरार होना चाह रहे थे लेकिन बाद में एक अन्य गाड़ी से भाग गए। डीएसटी टीम ने कुछ गाड़ियों के नंबर मौके पर ही निकाल लिए थे। इसके बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम रवाना हो गई। मेघासर से एक जने को पकड़े जाने के बाद उसकी निशानदेही पर बाकी सबको अलग-अलग स्थानों से दबोचा गया। इनमें दो जनों दिनेश व मनोज के अपराधिक रिकॉर्ड भी है।

ज्वैलर्स से सोने-चांदी के जेवर लूटने के मामले में पुलिस ने सात जनों को गिरफ्तार किया।

गौतम ने बताया कि वारदात में जिस स्कूटी का उपयोग किया गया। वह लक्ष्मीनारायण सोनी की ही थी। लक्ष्मीनारायण व नारायण आपस में मामा-भांजा लगते हैं, इस स्कूटी के चैसिस नंबरों से ही आरोपियों की पहचान हो सकी और साइबर सैल की मदद से इन तक पहुंचा जा सका। वारदात के बाद डीएसटी ने घटनास्थल के 37 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पुलिस स्कूटी की मदद से आरोपियों तक पहुंची। राजा ने अपनी स्कूटी देकर अपने साथियों को भेजा था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी नाल थाना इलाके की तरफ भाग गए। पुलिस ने तकनीक के माध्यम से सभी आरोपियों के कनेक्शन का पता लगाया। पुलिस की 13 टीमों ने आरोपियों को अलग-अलग जगह से दबोचा।

- **मंगलवार रात को ज्वैलर्स को पिस्तौल दिखाकर लाखों के सोने-चांदी के जेवर लूटे थे**
- **लुटेरों को पकड़वाने में 37 सीसीटीवी और स्कूटी मददगार बनी**

नयाशहर थाना इलाके में मंगलवार रात को प्रताप बस्ती निवासी इमरान खान अपनी दुकान से सोने-चांदी का सामान लेकर घर जा रहा था। तब लालगढ़ रोड़ और कब्रिस्तान के पास उसकी कनपटी पर पिस्तौल तानी और बैग छीन कर भाग गए। बैग में 700 ग्राम सोने के जेवर, 25 किलो चांदी के नए-पुराने जेवर थे।

युवक की मौत

बीकानेर, (निसं)। शहर के बीछवाल थाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शोभासर के पास आपसी विवाद के चलते दो गुटों में मारपीट हो गई थी। इसमें भुट्टों के चौराहा के पास रहने वाले शाहरूख भुट्टो के चोटें आई, जिसे पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल शव को पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिचित व परिजन पीबीएम की मोर्चरी के आगे जमा हो गये और हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जानकारी मिल रही है मृतक किसी समारोह में शामिल होकर आ रहा था। इस दौरान शोभासर के पास मृतक से आपसी विवाद चल रहे भुट्टों के बास निवासी से बोलचाल हो गई और बात-बात में मारपीट शुरू हो गई।

सब स्टैण्डर्ड दही बेचने पर तीन लाख का जुर्माना

हनुमानगढ़, (निसं)। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित अल्पना नमकीन व रेस्टोरेंट पर सब स्टैण्डर्ड दही बेचने पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदी लाल मीना ने अपने फैसले में बताया कि व्यापारी ने सब स्टैण्डर्ड दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह कृत्य लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर अपराध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि गत 25 जुलाई 2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित अल्पना नमकीन व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया तथा आमजन को विक्रय की जा रही खाद्य सामग्री की जांच की। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद फ्रिज में प्लास्टिक की बाल्टी में रखे 25 किलोग्राम दही में मिलावट का शक होने की सम्भावना जताई। उन्होंने बाल्टी में रखे दही को अच्छी तरह मिलाकर उसके सैम्पल संग्रहित किए एवं उसे जांच के लिए बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भिजवाया गया। प्रयोगशाला से 7 अगस्त 2023 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें दही का सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इसकी सूचना अल्पना नमकीन व रेस्टोरेंट के मालिक अनिल कुमार गक्खड़ को दी गई। अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद पेश किया गया। जुर्माना राशि एक माह में जमा करवाने के आदेश दिए गए।

तीस साल से फरार अपराधी भीलवाड़ा से गिरफ्तार

आरोपी अपने गांव व पत्नी, बच्चों का छोड़ कर भीलवाड़ा में दूसरी शादी कर रह रहा था

जोधपुर, (कासं)। शहर की सदर बाजार पुलिस ने पिछले 30 वर्ष से फरार अपराधी को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त वारदात कर अपने गांव लाडनूं से फरार होकर आमली कॉलोनी कंजर बस्ती बागोर, जिला भीलवाड़ा में रहने लगा था।

थानाधिकारी दयालाल ने बताया कि पावटा द्वितीय पोलो हाल कटला बाजार में दुकान चलाने वाले गोविन्द अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल अग्रवाल ने 2 अप्रेल 1994 को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि कटला बाजार में मेरी एक फर्म है, जहां पर मातूराम पुत्र धर्मदास निवासी लाडनू नौकरी कर रहा है, उसने झूठा झांसा देकर 1705 रूपये ले लिए तथा मेरी अलग-अलग पार्टी से झांसा देकर 5457 रूपये नगद माल के रूप में उठा लिए तथा वापस देने का कहने पर झांसा दे रहा था तथा पिछले दो माह से वो जोधपुर भी नहीं आ रहा है।

थानाधिकारी दयालाल ने बताया कि अनुसंधान आरोपी मातूसिंह उर्फ मातूराम पुत्र धर्मदास उर्फ रामसिंह की तलाश की गई लेकिन आरोपी अपने घर पर कभी नहीं मिला, जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 299 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया था। न्यायालय से अभियुक्त को उद्घोषित करवाकर स्थाई वारण्ट जारी करवाया। आरोपी की तलाश पिछले 30 सालों से निरन्तर की जा रही है लेकिन आरोपी अपने गांव अपनी पत्नी व बच्चों का छोड़ कर पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए बागोर भीलवाड़ा में दूसरी शादी करके निवास करने लग गया। इस बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया। आरोपी पिछले 30 वर्षों से अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में फरारी काट रहा था।

पुलिस आयुक्तालय द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई में पुलिस की टीम ने 55 साल के मातूराम उर्फ मातूसिंह पुत्र धर्मदास उर्फ रामसिंह निवासी लाडनूं जिला कुचामन डिडवाना हाल निवासी वार्ड नं. तीन आमली का बास बागोर पुलिस थाना बागोर जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई में हैड कांस्टेबल हीरालाल, कांस्टेबल राकेश आदि शामिल रहे।

उप स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशु मिलने पर संज्ञान

भीलवाड़ा, (निसं)। एक अज्ञात नवजात शिशु के उप स्वास्थ्य केंद्र गोरख्या, करेड़ा में मिलने की सूचना पर बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेते हुए डॉ. सीपी गोस्वामी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा एवं करेड़ा पुलिस स्टेशन पर संपर्क किया। नवजात शिशु को बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- **बाल कल्याण समिति ने चिकित्सा अधिकारी एवं करेड़ा पुलिस से संपर्क किया**

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा एवं सदस्य विनोद राव ने नवजात शिशु को चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होने से जिला हॉस्पिटल महात्मा गांधी के एन.आई.सी.यू. में एडमिट कराया एवं नवजात का काल्पनिक नाम रखा। शिशु के स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा अधीक्षक एमजीएच एवं सुरक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चन्द्रकला ओझा ने बताया कि नवजात शिशु पूर्णतया स्वस्थ होने पर पालड़ी राजकीय शिशु गृह में लाने के पश्चात गोद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस समयावधि में जन्मदात्री चाहे तो शिशु को अपनाने के लिए बाल कल्याण समिति में संपर्क कर सकती है।

पुष्कर सरोवर किनारे अवैध निर्माण हटाये, दो होटल और दो मकान तोड़े

अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पुष्कर पालिका ईओ के नेतृत्व की गई, भारी पुलिस बल मौजूद रहा

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर सरोवर किनारे अवैध निर्माण को हटाया और दो होटल दो मकान तोड़े गए। पुष्कर सरोवर के पीछे स्थित किस्म तालाब की भूमि पर चार लोगों ने बड़ी-बड़ी अवैध बिल्डिंग बना ली, जिसमें दो होटल, दो मकान शामिल है। इसके पास ही कृषि भूमि पर प्लाट काटकर लाखों रुपए में बेच दिए।

अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पुष्कर नगर पालिका ईओ बीएल मीणा के नेतृत्व की गई। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अतिक्रमियों ने पालिका की टीम जमकर विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस दल होने के कारण विरोध चल नहीं सका। अवैध निर्माण की कार्रवाई के दौरान पुष्कर एसडीएम निखिल कुमार पोद्दार, तहसीलदार सृष्टि जैन नायब तहसीलदार नीलम राठौर, डिप्टी रामचंद्र चौधरी पुष्कर के सी आई राकेश यादव समेत भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जेसीबी और पाकलेन मशीन की सहायता से निर्माण तोड़ा गया। यह कार्यवाही रात्रि को भी जारी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है। चार पक्के निर्माण तोड़ने के लिए पुष्कर नगर पालिका ने दिनेश जांगिड़, सुनील पाराशर, मुरली नागपाल व महेश शर्मा को पालिका एक्ट की धारा 194 के तहत दो बार नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद बुधवार को भी तीसरी बार नोटिस चस्पा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। अतिक्रमण नहीं हटने पर गुरुवार को पुष्कर नगर पालिका ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की। तालाबी किस्म की जमीन पर पक्के निर्माण किए जाने की पुरातत्व विभाग ने भी पुष्कर नगर पालिका को शिकायत की थी, जिस पर पुष्कर नगर पालिका ने पूर्व में भी अवैध निर्माण हटाने और को लेकर अवैध निर्माणकर्ताओं को पाबंद किया हुआ। इसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ताओं ने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग के बनाकर निर्माण कर लिया।

पुष्कर में सरोवर के पास अवैध होटल को पालिका की पोकलेन मशीन की सहायता से तोड़ा गया।

पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बीएल मीणा ने बताया कि पुष्कर में पुरातत्व संरक्षण के बादशाही महल प्रतिबंधित क्षेत्र में शिकायत पुरातत्व विभाग ने की थी जिस पर पुष्कर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के नोटिस दिए थे। अवैध निर्माणकर्ता होने अपने स्तर पर अवैध निर्माण नहीं हटने पर नगरपालिका प्रशासन अवैध पक्के निर्माण को हटाने की कार्रवाई की है। वहीं डूब क्षेत्र और अन्य जगहों पर बने अवैध निर्माण पर भी नगर पालिका प्रशासन अतिक्रर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उन पर भी कार्रवाई करने की अधिशासी अधिकारी ने बात कही।

- **बुधवार को भी तीसरी बार नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे**

पुष्कर एसडीएम निखिल कुमार पोद्दार ने बताया कि डूब क्षेत्र और पुरातत्व संरक्षण की जमीन पर अवैध निर्माण कर्ताओं के निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण तोड़ने का पूरा खर्चा भी निर्माण कर्ताओं से वसूल किया जाएगा। बताया जाता है कि जिला कलक्टर स्वयं दो दिन तक पुष्कर का गुप्त दौरा कर पूरे अवैध निर्माण देखे ओर किस तरह से लोहे के बड़े बड़े चद्दर लगाकर उनके पीछे निर्माण किया जा रहा था वह देखा। इसके अलावा सीनियर आई ए एस संवित शर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को बताई की पुष्कर में सरोवर के पास निर्माण किस प्रकार से निर्माण चल रहे है। इस दौरान नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा, अतिक्रमण निरोधक दस्ता प्रभारी लोकेन्द्र सिंह, जमादार कैलाश, महेश दीपक, समेत 50 पालिकाकर्मी मौजूद रहे।